राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत छापली
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत छापली

प्रकरण सं. – 11/2014 रे0वा0 — निर्णय दिनांक –29.06.2015

अनवान

1. श्रीमति नोजी बेवा उदयसिंह जाति रावत निवासी नवलियापग छापली तहसील भीम

वादी

बनाम

1. श्री गोकुलसिंह पुत्र अमरसिंह जाति रावत निवासी नवलियापग छापली तहसील भीम
2. श्री कुपसिंह पुत्र अमरसिंह जाति रावत निवासी नवलियापग छापली तहसील भीम
3. श्री जवानसिंह पुत्र अमरसिंह जाति रावत निवासी नवलियापग छापली तहसील भीम
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम।

प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए

यह कि ग्राम छापली पटवार हल्का छापली तहसील भीम मे एवं डुंगावास पटवार हल्का खीमाखेडा तहसील भीम में निम्न वर्णित आराजियात आई हुई है:–

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			किस्म
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी	
294	518	00	11	00	जाव3चाही3
	722	00	04	00	चाही 1
	723	00	04	00	चाही 1
	1159	00	02	00	बारानी 2
	1160	00	07	10	बारानी 2
	कुल किता 05 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा 10 बिस्वांसी				

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			किस्म
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी	
279	2749	00	18	00	चाही 1
	2759	00	17	00	चाही 1
	कुल किता 05 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा				

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित खाता संख्या 294 में वर्णित खसरा संख्या 518, 722, 723, 1159 एवं 1160 कुल किता 5 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा 10 बिस्वांसी तथा खाता संख्या 279 मे वर्णित खसरा नम्बर 2749 व 2759 कुल किता 2 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार वादीया एवं प्रतिवादीगण है जिसमें वादीया श्रीमति नोजी बेवा उदयसिंह का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 गोकुलसिह, कुपसिंह व जवानसिंह का 1/2 हिस्सा होकर उस पर काबिज होकर काश्त करते कराते चले आ रहे है। वादपत्र कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात आज तक रिकार्ड में बिना बंटी चली आ रही है एवं प्रत्येक रिकार्डेड खातेदार अपनी सहुलियत के अनुसार अपने–अपने हिस्से के मुताबिक खेती करते हुए एवं बजड जमीन में घास काटते चले आ रहे है एवं उपरोक्त आराजियात का माप व सीमांकन के विधिवत रूप से कभी बंटवारा नही हुआ है एवं उक्त आराजियात आज तक बिना बंटी होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के सामुहिक उपयोग एवं उपभोग में चली आ रही है। वादीया ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उपरोक्त आराजियात का विधिवत् बंटवारा करा अपने हिस्से में आई हुई आराजियात को अपने हिस्से की भूमि को अपने–अपने खाते में दर्ज करा उसके विकास की बात कही एवं वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को तहसील में चलकर विधिवत रूप से बंटवारा कराने हेतु कागजात पेश करने बाबत कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कोई बहाना बनाकर टालते रहे।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प छापली** मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित होकर आपसी समझाईश की एवं प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित होकर उनके प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः वादी का वाद आपसी समझाईश से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जाकर मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा तरमीम किया जाकर पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

पीठासीन अधिकारी
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner